WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268503
CG-DL-E-15122025-268503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947
No. 365] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2025

मामला सं. एडी (ओआई) – 21/2025

विषय: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोल्यूईन (पीएनटी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

फा. सं. 6/24/2025.-डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में कहा गया है) के मूल

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोलुईन (पीएनटी) (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' के रुप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 16 जून 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2025- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई, ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया।

4. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए दिनांक 16 जून 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2025- डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

5. प्राधिकारी ने जांच शुरु करने के उपरांत भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ उपयोगकर्ताओं, आवेदक कंपनी के साथ-साथ भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।

7. भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति के साथ ही उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए

8. जांच शुरुआत अधिसूचना और सूचना के प्रत्युत्तर में, संबद्ध देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों और आयातकों/ उपयोगकर्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर और विधिक प्रस्तुतिकरण को भरकर प्राधिकारी को उत्तर दिया।

9. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने प्रस्तुतिकरणों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ग. <u>आवेदक कंपनी से प्राप्त अनुरोध</u>

10. आवेदक ने दिनांक 26 नवंबर 2025 को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन वापस ले लिया है और जांच को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि:

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

"घरेलू उद्योग की ओर से, *नियमावली के नियम 14 के तहत हम जांच की अवधि के उपरांत महत्वपूर्ण बाजार बदलावों को देखते हुए एतद्वारा वर्तमान आवेदन को वापस लेते हैं।*

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्तमान जांच को समाप्त करें।"

घ. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

11. आवेदक द्वारा किए गए उक्त अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के उपरांत जांच को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा, यदि *"उसे प्रभावित घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से, जिसके कहने पर जांच शुरू की गई थी, ऐसा करने के लिए लिखित में कोई अनुरोध प्राप्त होता है।"*

12. आवेदक द्वारा आवेदन को वापस लिए जाने और जांच को समाप्त किए जाने के लिए किए गए अनुरोध को देखते हुए, प्राधिकारी कई हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करना उचित नहीं समझते और एतद्वारा इस जांच को समाप्त करते हैं।

ड. <u>निष्कर्ष</u>

13. आवेदक कंपनी अर्थात आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उपरोक्तानुसार आवेदक को वापस लिए जाने और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 14 (क) को देखते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नाइट्रोटोलुईन (पीएनटी)" के आयातों के संबंध में दिनांक 16 जून 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2025- डीजीटीआर के तहत शुरू की गई पाटनरोधी जांच को एतद्वारा समाप्त करते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2025

CASE No. ADD (OI) - 21/2025

Subject: Termination of anti-dumping investigation concerning imports of Para Nitrotoluene (PNT) originating in or exported from the European Union.

F. No. 6/24/2025-DGTR.—A. INTRODUCTION

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), Aarti Industries Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Para Nitrotoluene (PNT) (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’), originating in or exported from the European Union (hereinafter referred to as the ‘subject country’) .

2. The Authority, based on prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification F. No. 6/24/2025-DGTR dated 16th June 2025, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

B. PROCEDURE.

3. The Authority notified the Delegation of the European Union to India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

4. The Authority issued a public notice vide Notification F. No. 6/24/2025-DGTR dated 16th June 2025, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the anti - dumping investigation concerning imports of the subject goods.

5. Post-initiation, a copy of the initiation notification was sent to the Delegation of the European Union to India, known producers/ exporters in the subject country, the known importers/users in India, the applicant company as well as the other domestic producers of the subject goods in India as per the address made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit as per Rule 6(2) of the Rules.

6. The Authority provided a copy of the non- confidential version of the application to the known producers / exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

7. The Delegation of the European Union to India were requested to advise the exporters / producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/ exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers / exporters from the subject countries.

8. In response to the initiation notification and intimation, exporters / producers from the subject country and importers responded to the Authority by filling the exporter and importer questionnaire responses and legal submissions.

9. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request there into all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

C. REQUEST RECEIVED FROM THE APPLICANT COMPANY.

10. The applicant, through an email dated 26th November 2025, has withdrawn its application and has requested for termination of the investigation citing that:

"On behalf of the domestic industry, under Rule 14, we hereby withdraw the application in view of significant market developments in the post investigation period.

We request you to kindly terminate the present investigation"

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY.

11. The said request made by the applicant has been examined. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules provides that the Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if *"it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated."*

12. In view of the withdrawal of the application and the request for termination of the investigation, the Authority does not consider it appropriate to deal with the various issues raised by several interested parties and hereby terminates this investigation.

E. CONCLUSION

13. In view of the aforesaid withdrawal of the application made by the applicant company, i.e., Aarti Industries Limited and Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules, 1995 the Authority hereby terminates the anti-dumping investigation initiated vide Notification F. No. 6/24/2025-DGTR dated 16th June 2025 concerning the imports of "Para Nitrotoluene (PNT)" originating in or exported from the European Union.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.